न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :— पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
01 / 2019	01.01.2019	18.11..2022

//उनवान//

1 शुभराम
2 रायसिंह पुत्रान यादराम जातियान जाट निवासी मिर्जापुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:— वादीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:— प्रतिवादी

2 चन्दगीराम
3 गुगनराम
4 रतनसिंह पुत्रान यादराम समस्त जाति जाट निवासी मिर्जापुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर।
5 दडको बेवा यादराम जाति जाट निवासी मिर्जापुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर।
6 सरती पुत्री दडको जाति जाट निवासी मिर्जापुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

तर0 प्रतिवादीगण

दावा — दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थितिः— श्री अरुण पण्डित — वकील वादीगण

निर्णय

दिनांक— 18.11.2022

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0नं0 159/0.49, 366/0.05, 367/0.06, 368/0.13, 160/0.44, 161/0.54, 164/0.81, 244/0.24, 248/0.41 है0 वाके ग्राम मिर्जापुर में स्थित होकर वादीगण के पिता यादराम के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है एवं पिता काबिज रहकर काश्त करता रहा है तथा उनकी फौतगी के बाद मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण अपने—अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। पिता के फौत होने पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करते समय खिलाफ मौका व खिलाफ कानून व मिन वादीगण को बिना सुने मिन वादी सं0 1 का नाम शुभराम के स्थान सुब्बाराम [illegible] वादी सं0 2 रायसिंह का नाम रामसिंह दर्ज कर दिया। राजस्व रिकॉर्ड में मिनवादीगण के नाम का गलत अंकन दर्ज होने के कारण उपयोग उपभोग करने में परेशानी हो रही [illegible] के हम वादीगण के अलावा अन्य कोई सुब्बाराम [illegible] अन्य व्यक्ति मृत या जीवित नहीं है। मिन वादीगण के समस्त पहचान के दस्तावेजात में भी वादी सं0 1 का नाम शुभराम व सं0 2 का नाम रायसिंह ही दर्ज है जिसे दुरूस्त किया जाना कानूनन व न्यायसंगत है आदि—आदि अंकित करते हुये वाद वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित सुब्बाराम एवं रामसिंह के नाम को हजफ कर उनके स्थान पर शुभराम व रायसिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कराये जाने का निवेदन रहा।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:37:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण सं0 2 ल0 6 की बाद विधिवत तलबी अनुपस्थित रहने की स्थिति में इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी सं0 1 को बार–बार पेश करने जवाब पैरोकार अवसर दिये जाने उपरांत जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–73 किता 2 प्रदर्श–1, नकल इन्तकाल सं0 143 वाके ग्राम मिर्जापुर प्रदर्श–2 एवं मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रतियां पेश की एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र शुभराम पुत्र यादराम पीडब्लयू–1 एवं शपथपत्र रायसिंह पुत्र यादराम पीडब्लयू–2 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजीयात वादीगण की दादालाई आराजी होकर वाके ग्राम मिर्जापुर में स्थित है जो पिता की फौतगी पर जरिये विरासत प्राप्त हुई है। विरासत के आधार पर वादी सं0 1 का नाम शुभराम के बजाय सुब्बाराम व रायसिंह के बजाय रामसिंह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जबकि सही नाम शुभराम व रायसिंह पुत्रान यादराम है तथा वादीगण के समस्त पहचान के दस्तावेजात भी शुभराम व रायसिंह के नाम के है। वादपत्र की ताईद में वादीगण ने नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–73 किता 2 प्रदर्श–1, नकल इन्तकाल सं0 143 वाके ग्राम मिर्जापुर प्रदर्श–2 एवं मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रतियां पेश की एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र शुभराम पुत्र यादराम पीडब्लयू–1 एवं शपथपत्र रायसिंह पुत्र यादराम पीडब्लयू–2 पेश किये जो शामिल पत्रावली है एवं उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वादीगण ने अपने वादपत्र को पूर्णरूप से साबित कर दिया है अभिकथन करते हुये वादीगण के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल आराजी ख0नं0 159/0.49, 366/0.05, 367/0.06, 368/0.13, 160/0.44, 161/0.54, 164/0.81, 244/0.24, 248/0.41 है0 वाके ग्राम मिर्जापुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0 के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादी सं0 1 के बाबत अंकित नाम सुब्बाराम एवं वादी सं0 2 के बाबत अंकित नाम रामसिंह को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं सुब्बाराम के बजाय शुभराम तथा रामसिंह के बजाय रायसिंह नाम दर्ज रिकॉर्ड किये [illegible] जाते हैं। उक्तानुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया [illegible] तद[illegible]र पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **18.11.2022** को मेरे द्वारा लिखवाया [illegible] कर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:37:00 IST
Reason: SelfAttested

18-11-2022

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)

दावा संख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
01 / 2019	01.01.2019	18.11..2022

/ /उनवान/ /

1 शुभराम

2 रायसिंह पुत्रान यादराम जातियान जाट निवासी मिर्जापुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– वादीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– प्रतिवादी

2 चन्दगीराम

3 गुगनराम

4 रतनसिंह पुत्रान यादराम समस्त जाति जाट निवासी मिर्जापुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर।

5 दडको बेवा यादराम जाति जाट निवासी मिर्जापुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर।

6 सरती पुत्री दडको जाति जाट निवासी मिर्जापुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

तर0 प्रतिवादीगण

दावा – दुरूस्ती इन्द्राज

–: पर्चा डिक्री :–

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री अरुण पण्डित की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.11.2022 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

अतः हाल आराजी ख0नं0 159 / 0.49, 366 / 0.05, 367 / 0.06, 368 / 0.13, 160 / 0.44, 161 / 0.54, 164 / 0.81, 244 / 0.24, 248 / 0.41 है0 वाके ग्राम मिर्जापुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0 के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादी सं0 1 के बाबत अंकित नाम सुब्बाराम एवं वादी सं0 2 के बाबत अंकित नाम रामसिंह को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं सुब्बाराम के बजाय शुभराम तथा रामसिंह के बजाय रायसिंह नाम दर्ज रिकॉर्ड किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 18.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:37:00 IST
Reason: SelfAttested

18-11-2022

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0